

कंसोर्शियम ऋण

विद्युत परियोजनाएं अन्य संरचनात्मक परियोजनाओं की तरह ही अत्यधिक पूंजी वृद्धिकर तथा लंबी समयावधि वाली हैं और निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश के काफी बड़े भाग की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी, समरूप स्वीकार्य दृष्टिकोण की अनुपस्थिति में, निजी क्षेत्र परियोजनाएं वित्त प्राप्त करने में कई जोखिमों का सामना करने के लिए विवश हैं जैसे भाग लेने वाली संस्था के द्वारा मूल्य-निरूपण की बाहुल्यता, विभिन्न प्रकार के नियमों व शर्तों का अनुबंध, संवितरण और निगरानी के द्वारा वित्तीय समापन को प्राप्त करने में देरी के लिए विभिन्न कार्य- विधियाँ/कार्य पद्धतियां तथा परियोजना का तीव्र क्रियान्वयन।

उपर्युक्त को साकार करने के लिए, पीएफसी ने, एलआईसी तथा अन्य भारतीय बैंकों के साथ मिलकर अगस्त, 2005 में पावर लेंडर्स क्लब(पीएलसी) की स्थापना निजी विद्युत क्षेत्र के ग्राहकों को एक ही स्थान पर वित्तीय उपायों तथा तीव्र वित्तीय समापन को प्राप्त करने के लिए की।